राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर

क्रमांक एफ4(ई)(एन–396 / 94) / अलेसे–III / 4433-4437 दिनांक–13-8-2012

कार्यालय आदेश

इस विभाग के आदेश संख्या 81 / 2012–13 दिनांक 31.05.2012 के द्वारा श्री नरेन्द्र शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार का स्थानान्तरण कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जोधपुर से कोषालय (ग्रामीण), जोधपुर मे किया जाकर निर्देश दिये गये थे कि वर्तमान पदस्थापन कार्यालय द्वारा कार्यमुक्त नही किया जाता है तो आदेश जारी होने के 15 दिवस की अवधि में स्वतः ही कार्यमुक्त समझते हुए नव पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण कर अवगत करावें, किन्तु श्री शर्मा द्वारा उक्त स्थानान्तरण आदेश की पालना नहीं करने पर विभागीय पत्र क्रमांक 3560–3562 दिनांक 09.07.2012 एवं पत्र क्रमाक 4253–4255 दिनांक 30.07.2012 के द्वारा नोटिस दिया जाकर निर्देशित किया गया था कि आदेशों की पालना नहीं करने पर आपके विरूद्ध सीसीए नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी किन्तु बार–बार लिखे जाने पर भी श्री शर्मा द्वारा निदेशालय के निर्देशों की पालना नही की गई है।

अतः श्री शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार को कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जोधपुर से तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी उपस्थिति नव पदस्थापन कार्यालय कोषाधिकारी (ग्रामीण), जोधपुर में प्रस्तुत कर पालना रिपोर्ट इस विभाग को प्रस्तुत करें।

निदेशक

क्रमांक एफ4(ई)(एन–396 / 94) / अलेसे–III / 4433-4437 दिनांक– 13-8-2012

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जोधपुर।
3. कोषाधिकारी (ग्रामीण), जोधपुर को उनके अ.शा. पत्र क्रमांक 1381 दिनांक 27.07.2012 के क्रम में।
4. श्री नरेन्द्र शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जोधपुर–342006 को पालनार्थ। रजिस्टर्ड
5. पदस्थापन सीट।

वेबसाईट पर डालने हेतु

संयुक्त निदेशक (कार्मिक–II)

F:\GAS-III\DTA\BHAGWAN G\OFFICE ORDER.doc